न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 40/2020 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2020/00090

1. सुषमा देवी पत्नि श्री विनोद कुमार जाति ब्राह्मण निवासी अनूपगढ़ जरिए मु. आम मोहित छाबड़ा पुत्र श्री नरेन्द्र छाबड़ा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नंबर 16, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मानचंद पुत्र दीप सिंह जाति धावाई निवासी रतनपुरा जरिये मुख्त्यार आम चिमन सिंह पुत्र जोर सिह जाति राजपूत निवासी चक 2 एल.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर। (आदेशिका दि. 27.11.2024 द्वारा नाम डिलीट किया)
3. हंसराज पुत्र झांगीराम जाति कम्बोज निवासी चक 1 एल.एम., तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. मदनलाल पुत्र झांगीराम जाति कम्बोज निवासी चक 1 एल.एम., तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. हरजीत सिंह पुत्र वीरा सिंह जाति कम्बोसिख निवासी चक 90 जी.बी., तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री मदन सुरोलिया — अभिभाषक अपीलांट्स
एकतरफा कार्यवाही — रेस्पोडेंट सं. 3 ता 5

निर्णय

दिनांक 18.09.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 01.02.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर के चक 1 एल.एम. का मुरब्बा नंबर 262/475 का किला नंवर 21 ता 25 में से 0.633 हैक्टेयर कृषि भूमि है। रेस्पो. सं. 3, 4 को चक 1 एम.एल. के मुरब्बा नंबर 262/475 के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किला नंबर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टेयर भूमि स्मॉल पेच में आवंटित हुई, जिसका आवंटन का इंतकाल संख्या 184 निर्णय दिनांक 08.03.2013 से रेस्पो. सं. 3, 4 के नाम दर्ज हुआ और खातेदारी दर्ज होने का इंतकाल सं. 236 दिनांक 22.06.2016 दर्ज हुआ। उक्त भूमि में से रेस्पो. सं. 3, 4 ने 0.633 हैक्टेयर अर्थात् 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलांट को जरिये बैयनामा दिनांक 05.04.2017 विक्रय कर दी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2018 पारित कर रेस्पो. सं. 2 के वादगत भूमि से संबंधित अस्थाई आवंटन को खारिज कर कब्जा बहक सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज करवाने के निर्देश दे दिये। साथ ही तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की, जो हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2— अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश कर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने हेतु निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट की प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी की गई बहस व प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या सं. 3 व 4 के नाम से एक कृषि भूमि जिसके मुरब्बा नंबर 262/467 के किला नंबर 1 ता 20 में 20 बीघा खातेदारी भूमि वाके चक 1 एल.एम. तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर में है। इसी चक 1 एल.एम. के मुरब्बा नंबर 262/475 के चिपता चिपत किला नंबर 21 ता 25 में 5 बीघा अर्थात् 1.265 हैक्टेयर भूमि रेस्पो. सं. 2 मानचंद को टी.सी. आवंटनशुदा थी, किन्तु उक्त भूमि पर रेस्पो. सं. 2 के द्वारा कब्जा काश्त नहीं करने एवं आग जरिये इकरारनामा विक्रय किये जाने के कारण रेस्पो. सं. 3 व 4 ने वर्ष 2012 में अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को इस बावत शिकायत की थी। उक्त शिकायत के लंबित रहने के दौराने तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा अपने स्तर पर रेस्पो. सं. 2 को नोटिस देकर मुरब्बा नंबर 262/475 के किला नंबर 21 ता 25 की 1.265 हैक्टेयर भूमि का टी.सी. आवंटन खारिज करते हुए उक्त कृषि भूमि को दिनांक 26.12.2012 को रकबा राज घोषित कर दिया और इसके इंतकाल सं. 182 दर्ज कर दिया। उक्त भूमि रकबा राज हो जाने के उपरांत रेस्पो. सं. 3 व 4 ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष उक्त भूमि को स्मॉल पेच में आवंटन करने के लिए आवेदन किया, जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट मंगवायी गई। उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा मु.नं. 262/475 के किला नंबर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टेयर कमाण्ड रकबा होना एवं स्माल पेच में आना बताया तथा रेस्पो. सं. 3 व 4 को स्मालपेच में भूमि आवंटित करने की अनुशंषा भी की, जिसके आधार पर दिनांक 18.02.2013 को स्मालपेच आवंटन आदेश जारी कर दिया। इसका आवंटन करने का इन्द्राज इंतकाल संख्या 184 दिनांक 18.03.2013 एवं खातेदारी दर्ज होने का इंतकाल सं. 236 दिनांक 22.06.2016 दर्ज हुआ। इन्द्राज जमाबंदी में अंकन है। उक्त स्मालपेच आवंटित भूमि 1.265 हैक्टयर में से रेस्पो. सं. 3 व 4 ने 0.633 हैक्टेयर यानि 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलांट सुषमा देवी को जरिये बैयनामा दिनांक 05.04.2017 को विक्रय कर दी। अपीलांट का इंतकाल सं. 242 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, तब से अपीलांट लगातार अपने खरीदशुदा, कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा काश्त में है तथा राजस्व रिकार्ड में लगातार अपीलांट का नाम दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शिकायत वर्ष 2012 में की गई थी जो 2018 तक बिना सुनवाई लंबित रही, इस दौरान चक चक 1 एल.एम. के मुरब्बा नंबर 262/475 के किला नंबर 21 ता 25 तादादी 1.265 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि का टी.सी. आवंटन मानचंद का तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 26.02.2012 को खारिज कर दिया गया था। जब पूर्व में ही रेस्पो. सं. 2 का टी.सी. आवंटन खारिज कर दिया गया तो पुनः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2018 को उसी टी.सी. आवंटन को खारिज नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने एक बार सक्षम अधिकारी के द्वारा टी.सी. आवंटन खारिज किये जाने के पश्चात् पुनः खारिज किये जाने के आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवज व अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2018 पारित कर रेस्पो. सं. 2 के वादगत भूमि से संबंधित अस्थाई आवंटन को खारिज कर कब्जा बहक संरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज करने के निर्देश दिये। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शिकायत वर्ष 2012 में की गई थी जो 2018 तक बिना सुनवाई लंबित रही, इस दौरान चक चक 1 एल.एम. के मुरब्बा नंबर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

262/475 के किला नंबर 21 ता 25 तादादी 1.265 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि का टी.सी. आवंटन रेस्पो. सं. 2 मानचंद का तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 26.02.2012 को खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात् स्मालपेच में रेस्पो. सं. 3 व 4 को पुख्ता आवंटन कर दिया गया। रेस्पो. सं. 3 व 4 ने उक्त रकबा में से 0.633 हैक्टेयर भूमि अपीलांट को जरिये विक्रय पत्र बेच दी व इंतकाल सं. 242 दर्ज हो गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण वर्ष 2012 का निर्णय दिनांक 01.02.2018 को पुरानी रिपोर्ट के आधार पर निस्तारण किया गया है जबकि इस दौरान रेस्पो. सं. 2 का टी.सी. आवंटन खारिज कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश वादगत भूमि की तहसीलदार अनूपगढ़ से वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट लिये बिना पारित किया गया हैं, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2018 निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर